न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं० 2025 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 88 / 2025	2025 / 401	07.10.2025	08.04.2026

1– प्रतीक फाउण्डेशन सोसायटी अलवर जिला अलवर जरिये सचिव किशन गुप्ता पुत्र गणेशीलाल गुप्ता जाति महाजन निवासी ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।

अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।
2– चाव खा पुत्र छंग्गा उर्फ छगा जाति मेंव निवासी ग्राम चोरबसई तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राज0) जरिये मुख्त्यार आम मोहम्मद अनीश पुत्र इस्लामुदीन जाति मेव निवासी ग्राम रूस्तम का बास चोरबसई तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।

असल रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास दिनाक 08.08.2025 नामान्तकरण संख्या 1787 वाके ग्राम चोरबसई

उपस्थित–
01. श्री दमन कुमार शर्मा –वकील अपीलान्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 1787 निर्णय दिनांक 08.08.2025 वाके ग्राम चोरबसई तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 1347/2 रकबा 0.8400 है0 सालिम वाके ग्राम चोरबसई तहसील किशनगढबास हाल खैरथल में स्थित है। आराजी चाव खा पुत्र छंग्गा उर्फ छगा जाति मेव की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी, उक्त आराजी को मिन अपीलान्ट ने अभिलिखित खातेदार चाव खा जरिये मुख्तयार आम मौहम्मद अनीश पुत्र इस्लामुदीन जाति मेव निवासी ग्राम रूस्तम का बास से खरीद करने का सौदा जरिये बयनामा तहरीर दिनाक 18.07.2024 व तस्दीक बयनामा दिनाक 19.07.2024 को 19,50,000/रूपये में बयनामा अपने हक मे निष्पादित कराया कब्जा प्राप्त किया उसकें पश्चात मिन अपीलान्ट ने उक्त आराजी का नामान्तकरण अपने नाम दर्ज कराने के लिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को प्रार्थना पत्र के साथ समस्त कागजात पेश करने के पश्चात बाद जॉच रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मिन अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण यह कहते हुये कि पावर अटार्नी होल्डर अनीश के अग्रेजी में नाम व हस्ताक्षर अलग–अलग है, और पावर ऑफ अटार्नी में पिताजी के नाम अलग–अलग होने के कारण नामान्तकरण संख्या 1787 वाके ग्राम चोरबसई दिनाक 08.08.2025 को खारिज किया गया है। तहत अदालत ने बिना अपीलान्ट को सुनवाई एंव साक्ष्य का अवसर प्रदान किये आदेश पारित किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 1787 वाके ग्राम चोरबसई निर्णय दिनाक 08.08.2025 की जानकारी सर्वप्रथम दिनाक 08.09.2025 को हुई जानकारी होने पर उसी दिन ऑनलाईन ई–मित्र से प्राप्त की गयी। जिस पर कानूनी

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

सहाल मशवरा कर आवश्यक ईन्तजाम कर बिना देरी किये अपील न्यायालय के समक्ष पेश की गयी है। अपील किये जाने में जो समय व्यतित हुआ है, व अपीलान्ट की जानकारी के अभाव में लाइल्मी होने के कारण काबिले माफी व मियाद में मुजरा दिये जाने योग्य है। अत मियाद के बिन्दू पर नरम रूख अपनाया जाकर पेशकर्दा अपील अपीलान्ट न्यायहित में सर्वप्रथम जानकारी की दिनाक 08.08.2025 से अन्दर मियाद ग्रहण की जावे इस हेतु पृथम से प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 का पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय नामान्तकरण संख्या 1787 वाके ग्राम चोरबसई दिनाक 08.08.2025 को निरस्त किया जावे।

रेस्पोडेन्ट कों जरिर्ये रजिस्ट्रड नोटिस तलब किया गया किन्तु रेस्पोडेन्ट उपस्थित नही हुआ।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 1787 वाके ग्राम चोरबसई दिनाक 08.08.2025 के विरूद्व दिनाक 24.09.2025 को पेश की गयी है, जो 15 दिवस पश्चात विलम्ब से पेश की गयी है, हम अपील का विधिवत निस्तारण केवल दफा को आधार मानकर निस्तारण किया जाना उचित नही समझते है, बल्कि अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित समझते है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 08.08.2025 की जानकारी अपीलान्ट को दिनाक 08.08.2025 को होना अंकित किया गया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि आराजी खसरा न0 1347/2 रकबा 0.8400 है0 सालिम वाके ग्राम चोरबसई तहसील किशनगढबास हाल खैरथल में स्थित है। आराजी चाव खा पुत्र छंग्गा उर्फ छगा जाति मेव की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी, उक्त आराजी को चाव खा जरिये मुख्तयार आम मौहम्मद अनीश पुत्र इस्लामुदीन जाति मेव निवासी ग्राम रूस्तम का बास से खरीद करने का सौदा जरिये बयनामा तहरीर दिनाक 18.07.2024 व तस्दीक बयनामा दिनाक 19.07.2024 को 19,50,000/रूपये में बयनामा अपीलान्ट के हक मे निष्पादित कराया कब्जा प्राप्त किया उसकें पश्चात अपीलान्ट द्वारा आराजी का नामान्तकरण दर्ज कराने के लिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को प्रार्थना पत्र के साथ समस्त कागजात पेश करने के पश्चात बाद जॉच रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने नामान्तकरण यह कहते हुये कि पावर अटार्नी होल्डर अनीश के अग्रेजी में नाम व हस्ताक्षर अलग–अलग है, और पावर ऑफ अटार्नी में पिताजी के नाम अलग–अलग होने के कारण नामान्तकरण संख्या 1787 वाके ग्राम चोरबसई दिनाक 08.08.2025 को खारिज किया गया है। तहत अदालत का रिकार्ड अवलोकन किया गया। आराजी खसरा न0 1347/2 रकबा वाके ग्राम चोरबसई खातेदार चावखां पुत्र छंगा जाति मेंव साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज थी, खातेदार द्वारा मौहम्मद अनीश पुत्र इस्लामुदीन जाति मेव निवासी रूस्तम का बास ग्राम चोर बसई तहसील किशनगढबास को मुख्त्यासर आम नियुक्त किया गया है, खातेदार द्वारा आराजी का जर्ये रजिस्ट्रड बयनामा संख्या 202403359101275 दिनाक 19.07.2024 के द्वारा प्रतीक फाउण्डेंशन सोसायटी को विक्रय किया गया है। तहत अदालत के द्वारा उक्त रजिस्ट्रड बयनामा संख्या 202403359101275 दिनाक 19.07.2024 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1787 दिनाक 08.08.2025 दर्ज कर वास्ते निर्णय हेतु पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश किया गया है। अपील के साथ संलग्न दस्तावेजो से स्पष्ट है, कि खातेदार द्वारा मौहम्मद अनीश पुत्र इस्लामुदीन जाति मेंव निवासी चोरबसई को मुख्यार आम नियुक्त किया गया है, अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय नामान्तकरण संख्या 1787 वाके ग्राम चोरबसई दिनाक 08.08.2025 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि अपीलान्ट को सुनवाई/साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज0)

की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)